P-1

R.M.M. Law College - Saharsa
Manvendra Mandal, Part time Lecturer
Subject- Drafting and pleading, part - II

आवश्यक विशिष्टियाँ (Necessary Particulars)
(सी०पी० सी० आदेश 6, नियम 4)

किन-किन मामलों में Particulars का दिया जाना आवश्यक है, इसका उत्तर सी०पी०सी० का आदेश 6, नियम 4 में स्पष्ट है। अभिवचन करने वाला पक्षकार जब किसी मिथ्या व्यपदेशन (Misrepresentation), कपट (fraud), न्यास भंग (Breach of trust), कामत: चूक (wilful default) या असम्यक् असर (Undue influence) का सहारा लेता है उन सब अवस्थाओं में आदेश 6, नियम 4 Particulars दिये जाने की अपेक्षा करता है और Particulars अवश्य कथित की जानी चाहिए। इसके अलावे उन अवस्थाओं में भी जिनमें कि सी०पी०सी० के परिशिष्ट 'क' के अन्तर्गत दिये गये प्रारूप से उदाहरणस्वरूप दर्शित की गयी जैसी विशिष्टियाँ से भी अधिक विशिष्टियाँ यदि आवश्यक है, अभिवचन में वे विशिष्टियाँ कथित की जानी चाहिए।

इसका कारण स्पष्ट है। मिथ्याव्यपदेशन, कपट, न्यास भंग, कामत: चूक तथा अनुचित प्रभाव के सम्बन्ध ये सब ऐसे व्यवहार हैं जो अनेक रूपों में परिलक्षित होते हैं, साथ ही उनको उत्पन्न करने के लिए विभिन्न घटनाएँ उत्तरदायी होती हैं और जब तक उन घटनाओं का उल्लेख न किया जाय, तब तक दूसरे पक्ष के लिए उनका उचित उत्तर देना संभव नहीं है। अत: उनकी पूर्ण Particulars आवश्यक हो जाता है। उनके सामान्य कथन काफी नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने लाडली प्रसाद बनाम करनाल डिस्टीलरी कं० लि० के मामले में इंगित किया है कि केवल यह कथन करना कि कोई विशिष्ट संव्यवहार (Transaction) दूसरे पक्षकार के अनुचित प्रभाव द्वारा दूषित (vitiated) है, केवल इतना ही स्पष्ट करता है कि छलपूर्ण प्रभाव के एक या अधिक प्रकारों का प्रयोग सम्बन्धित पक्षकार पर किया गया तथा ऐसा करके दूसरे पक्षकार द्वारा उससे

Scanned with CamScanner

P-2 आवश्यक विशिष्टियाँ (Necessary particulars)

एक अनुचित लाभ उठा लिया गया था। किन्तु अभिवचन का उद्देश्य केवल पक्षकार का ध्यान विवादग्रस्त विषय की ओर केन्द्रित करना है जिससे कि मतभेद निश्चित वादपदों में संकुचित हो जाय और पक्षकारों को इस बात की जानकारी हो जाये कि उन्हें किस प्रकार की गवाही पेश करना है। एक अस्पष्ट तथा व्यापक (vague and general) कथन इस उद्देश्य की पूर्ति कभी नहीं कर सकता अतः अनुचित प्रभाव कथन करने वाले पक्षकार से यह अभिकथित करने की अपेक्षा की जानी चाहिए प्रभाव का स्पष्ट स्वरूप क्या था, उस प्रभाव को किस ढंग से प्रयुक्त किया गया था तथा दूसरे पक्षकार द्वारा उससे कौनसा अनुचित लाभ उठाया गया था।

इसी प्रकार कपट से सम्बन्धित मामले में सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित इन बातों के सुनिश्चित कथन किये जाने चाहिए कि कपट क्या था, कैसे किया गया था, किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था। ये सभी बातें तथ्यों के साथ कथित की जानी चाहिए, कपट सम्बन्धी केवल व्यापक व्याख्या कपट की दलील को विधिक आधार प्रदान करने के लिए काफी नहीं है।

'अनुचित आचरण' का अभिकथन भी कपट के अभिकथन के समान है; अतः इसकी सम्पूर्ण विशिष्टियां अपेक्षित हैं। यही बात 'असावधानी' सम्बन्धी अभिकथन पर भी लागू होगी।

कुछ अधिनियम विशिष्ट मामलों में स्वयं विशिष्टियों को दिये जाने की अपेक्षा करते हैं। उदाहरणार्थ- रिप्रेजेन्टेशन ऑफ दि पीपुल्स एक्ट 1951 की धारा 86(5) कुव्यवहार (corrupt practice) के अभियोग के सम्बन्ध में particulars की अपेक्षा करती है, और उच्चतम न्यायालय ने कई वादों में धारण किया है कि ऐसे मामलों में कुव्यवहार की पूर्ण विशिष्टियाँ दी जानी आवश्यक है, अन्यथा वह अभिवचन भद्दा (clumsy) माना जायगा।

उपर्युक्त वर्णित मामलों के अतिरिक्त विधिवेत्ता मोल्ला महोदय ने निम्न अठारह मामले और गिनाये हैं जिनमें विशिष्टियों का दिया जाना आवश्यक है।

(I) लेखा के लिए वाद (suit for accounts)

(II) दत्तक ग्रहण (Adoption)

(III) प्रतिकूल कब्जा (Adverse possession)

Scanned with CamScanner

P-3 आवश्यक विशिष्टियाँ (Necessary Particulars)

④ करार (Agreement)
⑤ पूर्व ऋण (Antecedent debt)
⑥ बेनामी संव्यवहार (Benami transaction)
⑦ संविदा भंग (Breach of Contract)
⑧ कर्तव्य भंग (Breach of duty)
⑨ रूढ़ि (Custom)
⑩ निर्दयता (Cruelty)
⑪ सुखभोग (Easement)
⑫ अनैतिकता (Immorality)
⑬ न्यायोचितता (Justification)
⑭ वैध आवश्यकता (Legal necessity)
⑮ व्यपदेशन (Representation)
⑯ विशेष क्षति (Special damages)
⑰ सम्पत्ति पर हक (Title of Property)
⑱ अन्य व्यक्ति का हक (Title of another person)

The end.

Scanned with CamScanner